

17.15 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT)  
BILL

(SUBSTITUTION OF ARTICLE 335)

SHRI C. T. DHANDAPANI (Dharmapur): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

I wish to bring before this House the amendment to Article 335 of our Constitution with the hope that our Hon. Minister would agree to the proposal of my Bill. I know he is a very broad-minded and progressive minister. There are very few Ministers like him at the Centre with such a quality. I hope that he will accept my proposal.

17.16 hrs.

[SHRI S. A. KADER in the Chair.]

My proposal is that for article 335 of the Constitution, the following article shall be substituted, namely:—

"335(1) Notwithstanding anything in this Constitution, twentyfive per cent of the vacancies in services and posts in connection with the affairs of the State shall be reserved for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes

(2) The vacancies reserved under clause (1), which cannot be filled due to non-availability of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in a particular year, shall be carried forward and added to the normal reservations during the subsequent two years:

Provided that the number of normal yearly reserved vacancies together with reserved vacancies carried forward from the previous years in the aforesaid manner shall

not exceed 75 per cent of the total number of vacancies in any recruitment year.

"(3) In this article, unless the context otherwise requires, 'the State' includes the Central Government and the Legislature of each of the States' Union territories, all local or other authorities within the territory of India or under the control of the Government of India or co-operative societies or companies registered or set up under an Act of Parliament or of a State Legislature and are financed wholly or partly by Government of India or a State Government or by any local authority."

also want to read the objective of this Bill.

"Article 46 of the Constitution enjoins upon the State *inter alia* to promote with special care the educational and economic interests of the weaker sections of the people, and, in particular, of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The existing article 335 of the Constitution which stipulates that the claims of the members of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes shall be taken into consideration in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State is quite inadequate in the context of proliferation of industrial undertakings, cooperative societies and expansion of commercial activities of the State. The present Bill seeks to make good this deficiency."

Sir, this Bill seeks protections to the downtrodden, suppressed and exploited classes. Once they were denied the right of education, right of worship, right to enter into public places, and they were never granted the use of public roads, public wells, public burial ground, right from the pre-independence period. Now I want to say something about the historical background of the society. I do not want to go into the legal points of this Bill. But, I want to deal with the economic and!

[Shri C. T. Dhandapani] social aspects of this Bill. If I explain the background of the past, nobody should misconstrue my intention that I make this mention to hurt the feelings of others, those who believe in casteism. One may pose a question as to why a special treatment is needed to the low caste people. Historically a deliberate fraud had been committed on those people by high caste Hindus for their selfish ends and to keep those suppressed classes as slaves for ever. They were considered as untouchables. The puranas and the so-called sacred books, instead of teaching in terms of cooperation, equality and fraternity, they instigated the message of hatred, anti-brotherhood and anti-humanitarianism.

These untouchables were advised to serve sincerely the people of high position. Otherwise, they were not entitled to salvation. They never got an opportunity to think even of fresh food and pure water. They were asked to be satisfied with rotten food and dirty water which could not be touched by animals. One may come forward to ask why could not they revolt against this sort of injustices done to them. The simple reason was that they were made to believe the superstition and the supreme power of God. Even in Gita we could find the voice of the God himself saying, "The four castes created by me according to quality and merit."

Right from the puranic period till now in the modern age, caste system plays an important role in all walks of life.

Dr. B. R. Ambedkar said:

"In the caste system the division of labour is not spontaneous and natural but it is a hierarchy. Caste has killed public spirit. Caste has destroyed the sense of public charity. Caste had made public opinion impossible. There is no sympathy for the deserving. There is no charity for the needy. There is charity but it begins with caste and ends with caste."

Dr. G. S. Ghurye says:

"The low caste person had no civil

or religious rights. If he tries to hear the Vedic text, he shall have his ears filled with molten tin or lac; if he recites the Veda, his tongue shall be cut off and if he remembers it, he shall be made dismembered. If he assumes a position of equality, conversing or going along the road, he shall receive corporal punishment."

These were the main factors for the backwardness, and illiteracy of Harijans and they could not compete with others either politically or economically or socially. Very many social reformers tried to attack the evil roots of the caste system, but failed. The miseries of these people were rapidly increasing and their socio-economic and political fortunes were diminishing. Due to the earnest services of Gandhiji and Dr. Ambedkar in the north and of Periyar E. V. Ramaswamy and Arignar Anna and the self-respect movement in the south, a feeling of confidence was created in the minds of the Harijans. They were named as Harijans by Gandhiji.

Some of the leaders from their own community identified themselves as the protectors of their interests and took part in the national and social movements and rose to the occasions. After August 1947, though the Harijans and Adivasis could not taste the fruits of independence, they sincerely believed that their long-cherished hopes and aspirations would be fulfilled. Meanwhile there was a public demand for voting rights for those who completed 21 years irrespective of their caste, creed religion etc. The Constitution Assembly had detailed discussions about the right of vote at the age of 21 for all. Naturally, the scheduled castes and scheduled tribes people also have the right of voting now and they have been given the right to make their own choice. In a democratic country like ours, voters are considered as masters on the eve of the elections. That section which was fighting to live in the society has become a force in Indian politics.

willingly or unwillingly the circumstances compelled the then Government, the present Government to do some service, at least lip service, to those suffering masses.

In articles 46, which comes in the Chapter on Directive Principles of the Constitution, this has been incorporated Article 335, for which I have now brought forward an amendment, gave some hopes to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. What made me bring an amendment to this article? Though there was constitutional obligation on the part of the Government, yet the rights of these people were deliberately neglected.

Let us see what Shri Elayaperumal, who was a chairman of a Commission on this subject, stated about Plan programmes.

"It is highly regrettable that in spite of almost two decades of planning for National Development of this country, the Government and the Planning Commission have miserably failed to work out such a concrete policy or even a policy Resolution for the purpose. There is no doubt that our Five Year Plans contain a number of relevant points of a sound social philosophy which could clearly mean a definite planning for social reform of the type envisaged. But if we assess the social content of the various development programmes and public policies, it will be clear that there has been a deliberate dodging of the fundamental issues....But the Government and the Planning Commission have failed to work out any concrete plan according to these professions. There is a complete lack of planning approach to social change."

This was quoted by Shri Elayaperumal in his report.

In the same way, it was confessed by the Central Government leaders that the Five Year Plans failed to achieve its goal. Then you can imagine the position about the development

programme for this section. Very very meagre amounts were given for the welfare activities of these people. At the same time, these amounts were allotted in a very arbitrary way. In the three Five Year Plans, the total amount allotted by the Central Government was Rs. 15,190 crores. Out of this the amount allotted for the development of Scheduled Castes and Tribes is only Rs. 72.46 crores, which comes to only 0.48 per cent. In the Fourth Plan the amount mentioned was Rs. 141.14 crores. But the Central Government have so far spent only Rs 78.48 crores, even though the Fourth Plan is coming to an end.

Coming to employment opportunities, different States adopt different methods for reservation according to their convenience. I will mention some figures for the different States which will be very revealing. The figures are: Andhra Pradesh 14 per cent, Assam 6 per cent, Bihar 14 per cent, Gujarat 7 per cent, Kerala 9 per cent, Jammu and Kashmir 8 per cent, Madhya Pradesh 13 per cent, Maharashtra 6 per cent, Mysore 13 per cent, Orissa 16 per cent, Punjab 23 per cent, Rajasthan 17 per cent, Tamil Nadu 18 per cent, West Bengal 20 per cent, UP 21 per cent and so on. No uniform procedure has been adopted by the States. I want to know from the Minister what steps have been taken by the Government to instruct the State Governments to follow uniform policy in this matter.

Neither the Central Government nor the State Governments keep in mind the Directive Principles of the Constitution when they make reservations in the matter of recruitment or promotion. For example, take LIC. The percentage of representation as on 31st March 1971 was as follows: Class 1 officers 0.13 per cent, Class 2 0.16 per cent, Class 3 1.24 per cent and Class 4 14.3 per cent. At the same time, they have appointed some officers on a temporary basis. The percentage there is: Class 1 nil; Class 2 nil; Class 3 1.4 per cent and Class 4 25 per cent.

[Shri C. T. Dhandapani]

In the same manner, the position in Central Government industrial and commercial undertakings, as on 1970, is as follows: Class I officers 0.5 per cent; Class II officers 0.77 per cent; Class III employees 5.2 per cent; and Class IV employees 80.06 per cent—a majority of them here are Scheduled Castes and Scheduled Tribes; this is what the Central Government or any Government entrust such type of work to Scheduled Caste people.

I want to quote the position in the nationalised banks also. Some banks never appoint Scheduled Caste people. I know this because I am an ex-employee of a bank; I know the difficulties of the Scheduled Caste people; they find it very difficult to join banks. They, of course, conduct examination. But it is a farce. The position here is; Dena Bank 'nil'; Allahabad Bank 'nil'; Indian Bank 'nil'; Bank of Maharashtra 'nil'; Indian Overseas Bank 'nil'; Central Bank of India 0.08 per cent; Punjab National Bank 0.5 per cent; Bank of Baroda 0.03 per cent; United Commercial Bank 0.05 per cent; Canara Bank 0.1 per cent; the United Bank of India 0.23 per cent. It is something like this

There are 103 public undertakings in our country run by the Government. But no Scheduled Caste man has been appointed as Class I officer here; I mean, as head of any institute or institution.

Why not get the particulars from the other government departments as well as State Governments and other banks? This is what is happening in our country.

From this data you can very well understand how the Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are being neglected in the Central services. Public undertakings, private colleges in the case of appointments cooperative societies, quasi-financial institutions and other industrial units, owned by big people, never have a soft corner in their hearts to help this suppressed

class—suppressed for centuries. Private industries owned by high caste people appoint their own men. That is why I want that the cooperative societies or companies and other financial institutions, financed by the State Government or Central Government or local boards should be brought under the purview of this Amendment. If the Government is sincere in the matter of Scheduled Caste and Scheduled Tribe people, the industrial licences should not be given unless they implement the terms of the proposed amendment.

In all parts of the country wherever you go, big monopolies or small persons who can invest Rs. 1 or 2 crores or Rs. 10 or 15 lakhs appoint their own men. That is why I want that there must be some change, so that the agricultural labourers belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes may get some employment opportunities in the industries. So far as Scheduled Caste and Scheduled Tribe people are concerned, all are agricultural labourers. We all talk about removal of disparity and abolition of feudal order. Agricultural labourers are getting a very meagre amount. In some places they do not get cash, they get foodgrains which are generally unfit for human consumption. They work 20 hours in a day putting a hut in the field of their masters. According to the 1961 census—I could not get the latest Census figures—the total population of Scheduled Castes and Scheduled Tribes is 6,45,11,313. Out of this, 3,03,38,615 are workers of which 2,19,03,760 are involved in agriculture. All are agricultural labourers. They are suffering actually and theirs is an endless suffering. Discrimination prevails in the rural areas mostly because of the existence of the feudal system in the villages. Unlike the industrial labour, the agricultural labour belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes has no right to speak against the commands of their masters. They are still being treated as animals. You know the atrocities committed on Ma-

rians in various places of this country are increasing day by day. The most affected persons are the labourers involved in agriculture. Therefore, if we are really honest and sincere in the emancipation and upliftment of the Harijans and the Adivasis and protect them against the atrocities and injustices done to them in the fields of economic and social status, recruitment and promotion, I request the House, particularly, the ruling Congress to support by Bill and pass it.

Before I conclude, once again I want to make a submission about the present position. This Government could not keep up the undertakings and assurances given in the Constitution to the people of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. They were pushed back in order not to allow them to enjoy the results of development, if at all anything is happening in this country. Culpable crimes continue to be committed on them and on account of this, many people are rendered homeless, jobless and become orphans. Brutal killings normally take place. Raping of Harijan women is common. Same way, all sorts of atrocities are committed on them. In spite of all these atrocities, these pitiable people could not get out of this ghetto because they have no livelihood except that. They mainly depend at the mercy of the landlords and the high-caste people living in the villages. They live amidst perpetual fear and tyranny. The agricultural labour cannot claim any right to live. If they can have their livelihood in vocations other than agriculture, they may have the chance of escaping through all these sorts of crimes.

All industrial units, big or small, are owned by non-Harijans. The Government sector also refuses to oblige the Harijans. The Harijans have no means to start any industry of their own like others. Where will they go because they have to fight for their own livelihood and other things?

Therefore, I conclude by saying that 25 per cent of the reservations should

be made for them in all Departments including the co-operative sector, Industrial Finance Corporation and other private industries which are enjoying financial assistance from the banks and other Government Departments. De-reservation should not be made at any cost. All industrial units whether Private or public, including the co-operative sector should made reservation according to the proposed amendment, to bring about a socio-economic equality between man and man.

I conclude by requesting the Government and the House to support my Bill.

श्री जम्मू नाथ (संबपुर) : यह ठीक है कि यह बिल विरोधी पक्ष की ओर से आया है। चूंकि यह एक असलियत है कि इसलिये इस बिल का समर्थन करने के लिये मुझे मजबूर होना पड़ रहा है। यह जो संविधान है इसमें आर्टिकल 335 रखा गया है। इसके वर्डिंग को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ।

"The claims of the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be taken into consideration, consistently with the maintenance of efficiency of administration, in the making of appointments to services and posts in connection with the affairs of the Union or of a State."

शिडयूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लिये उस समय जो बात कही गई, वह उस समय कुछ जंचती थी, कुछ उचित मालूम होती थी। इस अवधि में सरकार की तरफ से बराबर यह कोशिश रही है कि पिछड़े हुये लोग ऊपर उठें। जितना काम होना चाहिये था, उतना तो नहीं हुआ, लेकिन यह सत्य है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े हुये लोगों की काफी तरफ़की हुई है। इस लिये आजादी के पच्चीस वर्ष बाद आज इस वातावरण में यह देखना है कि जिस वर्ग

[ श्री सम्भूनाथ ]

में आर्टिकल 335 है, क्या उसको मेनटेन करना चाहिये या नहीं ।

इस देश का दुर्भाग्य है कि इस देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी रही है कि जहाँ वर्ग विशेष या जाति विशेष की बात आ जाती है, तो सारा गुण और सारा हुनर पीछे रह जाता है । यह मनोवृत्ति समाज में बराबर पहले से चली आ रही है और आज भी वह पायी जाती है । इसलिये इस वातावरण में हमको यह देखना है कि आर्टिकल 335 का जो बडिंग है, क्या उसमें चेंज करना लाजिमी है या नहीं ।

आज समाजवाद का नारा दिया जा रहा है और कई तरह की मनोवृत्तियाँ समाजवाद में पायी जाती हैं । कुछ लोग तो ऐसे हैं, जो आउटराइट बहुत ईमानदारी के साथ कहते हैं कि शिडयूल्ड कास्ट्स के लोग बराबर बैठने वाले हो गये, उनको हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, उनको रिजर्वेशन क्यों दिया जाये । कुछ लोग ऐसे हैं, जो हृदय से चाहते हैं कि जब तक इस देश में सबसे पिछड़ा समाज बराबरी का हक नहीं पायेगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता है, देश में मजबूती नहीं हो सकती है, देश में समाजवाद नहीं आ सकता है । कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो ऊपर से तो बहुत ही प्रोग्रेसिव बनते हैं, लेकिन उनके मन में कलह और द्वेष बना रहता है । इन कारणों से यह सारे का सारा मसला खटाई में पड़ रहा है ।

मुझे ज़ाती तौर पर मालूम है कि गृह मंत्री, श्री मिर्षा, के मन में हरिजनों के प्रति बड़ी पीड़ा है । वह बराबर महसूस करते हैं कि उनके साथ अन्याय हुआ है—वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, या किसी भी प्रकार का हो । मुझे मालूम है कि वह चाहते हैं कि उनके साथ इन्साफ हो । जब इस तरह का

वातावरण सारे समाज में फैला हुआ है, तो इस बारे में ईमानदारी से सोचने की आवश्यकता है ।

उस समय कांस्टीट्यूशन में एफिशेंसी को आधार माना गया और कहा गया कि अगर इन वर्गों में योग्यता होगी, तो इन्हें नौकरी दी जायेगी । यह भी कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे ही कैसे छोड़ दिया जाये, उसको ढीला कैसे कर दिया जाये । इसी नाम पर हुकूमत में बैठ हुये कई लोग एकदम कह देते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जूस हो जायेगा, उसमें एफिशेंसी नहीं रह जायेगी, हम कैसे सरकार चला पायेंगे, आदि । लेकिन यकीन मानिये कि आजादी के पच्चीस वर्ष के बाद यह कह जा सकता है कि शिडयूल्ड कास्ट के जिन लोगों को रेशन-पासिबल जगहों पर बिठाया गया, उनमें से 99 परसेंट आदमियों ने—हो सकता है कि एक-आध अपवाद हो—अपना काम किसी से कम धन्यमान नहीं दिया है । पिछले दिनों स्ट्राइक हुई, लेकिन चूंकि शिडयूल्ड कास्ट के एम्प्लॉईज जानते थे कि वह स्ट्राइक गलत है, इसलिये उन्होंने उसमें हिस्सा नहीं लिया । इसलिये आज एफिशेंसी के नाम पर यह कह देना मेरी समझ में नहीं आता है कि शिडयूल्ड कास्ट के लोगों को सब्सिडिज में स्थान नहीं दिया जा सकता है ।

आज भी शिडयूल्ड कास्ट के लोगों की यह हालत है कि बी० ए० और एम० ए० की डिग्री प्राप्त करने के बाद भी उनको यह साबित करना पड़ता है कि हमने शिक्षा पाई है, हमने डिग्री प्राप्त की है । कांस्टीट्यूशन में दूसरे वर्गों के बारे में "ब्राउन्ड आफ एफिशेंसी" का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, जैसा कि शिडयूल्ड कास्ट के बारे में लगाया गया है । यह कितनी बड़ी एनामेसी है । इस आधार पर हमको समझना है कि आजादी के पच्चीस वर्ष बाद शिडयूल्ड कास्ट में वाकई प्रग्रेसिव लोग, यहाँ

करने लायक लोग, आफिसर्स, पालीटीशनर और इकोनामिस्ट्स आदि, हुये हैं या नहीं।

राज्य सभा में पिछले सत्र में सिविल एजिशन पर एक चर्चा हुई। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो लोग कांग्रेस का मंत्रि-मंडल चला रहे हैं, उनको भी स्थिति अच्छी तरह मालूम नहीं है। वह सवाल पूछा गया कि क्या इंडियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया में रिजर्वेशन होगा या नहीं। मंत्री महोदय ने तुरन्त कह दिया कि चूकि पायलट आदि टेक्निकल सर्विसेज हैं, इसलिये उन में रिजर्वेशन का सवाल ही नहीं उठता। मेरी समझ में नहीं आता कि इस तरह की बात उन्होंने कैसे कह दी। बुढ़िया के मर जाने का कोई डर नहीं है, डर यह है कि यमदूत घर देख लेगा। सरकार समाजवाद के नाम पर बराबर कार्पोरेशन बनाती चली जा रही है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन कार्पोरेशन्स की हालत क्या है? अभी माननीय सदस्य ने नेशनलाइज्ड बैंक की हालत बताई है। वही हालत कार्पोरेशन्स की है। इण्डियन एयर लाइन्स और एयर इण्डिया भी कार्पोरेशन्स हैं, आटोनोमस बाडीज हैं।

यह सही है कि पायलट की जाब टेक्निकल है, सेफ्टी का सवाल है, उसके लिये ट्रेनिंग की जरूरत होती है। लेकिन यह कह देना कांस्टीट्यूशन के विपरीत है कि चूंकि टेक्निकल जाब है, इसलिये उसमें रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। सवाल कांस्टीट्यूशन की भावना का है। अगर कोई भादमी न्वालिफाइड है, तो वह हम जाब के लायक है।

शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिशनर की रिपोर्ट पर साल भर में एक बार यहां बहस हो जाती है। उस रिपोर्ट से मालूम होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो या क्लेरिकल जाब हों, शाज कहीं भी शिड्यूल्ड कास्ट्स

का कोटा पूरा नहीं किया जाता है। माननीय सदस्य ने अभी इस बारे में अफिकड़े दिये हैं। यह बात मंत्री महोदय, सरकार और इस हाउस को मालूम है। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स, जिन के मन में बीर है, जो—मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं—नहीं चाहते कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग सर्विसिज में आयें, वे तुरन्त एफिजेंसी और योग्यता का बहाना पेश कर देते हैं। आज इन-एम्प्लायमेंट का आलम यह है कि अगर एक जगह हो, तो मी भादमी आते हैं, हजार भादमी आते हैं। दूसरी तरफ अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए रिजर्व एक जगह का एडबर्टाइजमेंट हो, तो कम से कम शिड्यूल्ड कास्ट्स के पचास कैंडिडेट्स आते हैं। आज-कल पचास का अभिमत है। लेकिन आज से पच्चीस साल पहले अगर एक पोस्ट होनी थी, तो मुश्किल से एक दो भादमी आते थे। आज पचास आदिम को जिसक्वालिफाई कर देना मेरी समझ में नहीं आता है। यह कौन मी विडम्बना है? अब तक यह विडम्बना चलेगी?

एक तरफ समाजवाद की बात की जा रही है और दूसरी तरफ आटोनोमस बाडीज और कार्पोरेशन्स के नाम पर एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। अभी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हमारे साथियो ने बताया कि आज वह बेचारे पेशान हैं कि होम मिनिस्ट्री से जी ओ आता है कि इस इस डिपार्टमेंट में इस इस तरह से प्रमोशन होना चाहिए, इस इस तरह से रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जब इन अधिकारियों से शिड्यूल्ड कास्ट के एम्प्लॉई पूछते हैं कि यह जी ओ आता है होम मिनिस्ट्री की तरफ से तो वह कहते हैं कि हमारे पास तो नहीं आया, आप होम मिनिस्ट्री का जी ओ ले आएं। आई ए एस आफिसर कहता है शिड्यूल्ड



[ श्री सम्भू नाथ ]

कास्ट के कर्मचारी से कि आप होम मिनिस्ट्री का जी भी ले आए तब हम मानेंगे। यह बड़ी भारी विषम्वना है। आज अपने भाई भतीजे, रिश्तेदार और नातेदारों को नौकरी देने का सिलसिला चल रहा है जिसके कारण अब के साथ जस्टिस नहीं हो पाती है।

हमारी सरकार 5 लाख सर्विसेज हर वर्ष देने की बात करती है। बड़ा अच्छा है। हर साल इतने लोगों को काम मिलेगा। 5 लाख ही नहीं इससे भी ज्यादा लोगों की सरकार सर्विस दिलाए यह बहुत अच्छा है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि वह इस पर गम्भीरता से गौर करे कि आया यह पाच लाख या दस लाख सर्विसेज जो प्रति वर्ष निकलेगी उसमें इसी तरह में शेडयूल्ड कास्ट के साथ अन्याय होगा जैसा अब तक हो रहा है या उसमें कोई सुधार होगा? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार इस तरह सोचेगी। मेरा तो अपना विश्वास है कि इस तरह जो क्वालिफिकेशन और एफिशिंसी के नाम पर इन लोगों के साथ इतना अन्याय होता है उनको दूर नहीं किया जायगा तो यह देश अब इसको बर्णित करने को तैयार नहीं है। मेरे अपने विचार से सबसे बड़ी योग्यता तो यह होनी चाहिए कि उस आदमी का लड़का अगर डिग्री प्राप्त किए है जिसके पास खाने पीने का सटारा नहीं है तो उस लड़के को सबसे पहले नौकरी मिलनी चाहिए अनिवार्य उसके जिसका बाप हर तरह सम्मान है। जिसके पास गोजी रोजगार है उस लड़के को बाद में नौकरी दी जाय और उसके लड़के को पहले नौकरी दी जाय जिसके पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। मीन्स टेस्ट जब तक इस समाज में नहीं लागू होगा तब तक शेडयूल्ड कास्ट के साथ सही तरीके से न्याय नहीं हो सकता है। एफिशिंसी के नाम पर उनके साथ जो अन्याय होता है मंत्री महोदय को मालूम है बार-बार उसके बारे में शिक्षापत्री होती है।

एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ जो सभी महोदय को याद होगा क्योंकि वह उनसे विचाराधीन है, प्रसिस्टेड सेक्शन आफिसर के पद के प्रोमोशन के लिए त्रिचयपत्ती दो वर्ष से लगातार चल रही है। कई बार इसको भीटिंग दे रख चुके हैं। लेकिन फाइल ला मिनिस्ट्री से होम मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से ला मिनिस्ट्री में आ जा रही है। पहले तो भंडारे साहब और बी० एम्० मूर्ति साहब इसके लिए हम लोगों की तरफ से चुने गए थे जिसमें भंडारे साहब ठीक यवर्कर हो कर चले गए हैं, मूर्ति साहब रह गए हैं, वह और सरदार बूटा सिंह जी दोनों मिल कर इस को देख रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब तो पक्ष में है कि उस के साथ न्याय होना चाहिए। लेकिन जो वेस्टेड इन्टरस्ट वाले बैठे हुए हैं, जो मंत्री महोदय को बताते हैं

एक माननीय सदस्य मिसगाइड करते हैं।

श्री सम्भू नाथ मिसगाइड क्या करेंगे? इन को मिसगाइड नहीं कर सकते। अपनी भडबने डालते हैं। लेकिन चूँकि मंत्री महोदय वाकई में इन्टेरेस्टेड है, वह जानते हैं कि उसके साथ इनजस्टिस हुई है, इसलिए वह जस्टिस देना चाहते हैं। कोई दूसरा होता तो अब तक यह कह देता कि ऐसा करना सम्भव नहीं होगा और फाइल क्लोज कर दी जाय। मंत्री महोदय इसमें जस्टिस देना चाहते हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दो दो वर्ष हो गए फाइल बराबर ला मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री में घूम रही है। मालूम नहीं क्या होगा?

सीधी सी बात तो यह है कि जो टेक्निकल सर्विसेज है जहाँ वाकई में ट्रेनिंग की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है, उसमें अगर शेडयूल्ड कास्ट एण्ड शेडयूल्ड ट्रीब्स के लोग एफिशियंट नहीं हैं तो उनको एफिशियंट बनाने की जिम्मेदारी भी सरकार की ही है। सरकार ही उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार



है कि उनको उसके लिए एफिश्येंट बनाए। सरकार ने कुछ दूर तक इस जिम्मेदारी को निभाया है। कांप्टीटीटिव एग्जामिनेशन जो आई० ए० पत० और पी० सी० एस० के होते हैं उसके जगह जगह पर जो इंस्टीट्यूशन खुले हैं वहां पर कुछ लड़कों के कोचिंग क्लासेज चलते हैं जिसमें उनको कुछ ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वह इम्तहान में कम्पीट कर सकें। लेकिन जो टेक्निकल सर्विसेज हैं, हजारों की तादाद में जो कारपोरेशन्स हैं उनमें अगर इस तरह की बात आती है तो यह जिम्मेदारी भी सरकार की होती है कि उनको एफिश्येंट उसके लिए बनाए। आखिर तीन एफिश्येंट बनेगा? आप एक तरफ तो उनको एफिश्येंट बनाने की कोशिश नहीं करते, दूसरी तरफ बी० ए०, एम० ए० की डिग्री के बाद भी आप उनको अयोग्य बनाना चाहते हैं और कहीं अगर सर्विस मिल भी जाये तो जब प्रोमोशन का प्रश्न आता है तब घाघलेबाजी की जाती है, तो आखिर 335 आर्टिकल के तहत यह फाउ क्व तक उनके साथ किया जायेगा, यह मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं। यह बिल्कुल क्लीयर फाउ है कांस्टीट्यूशन के साथ।

आज हर राज्य से तरह तरह के और अलग अलग परसेटेज निर्धारित हैं। यह भी हमारी समझ में नहीं आता। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जब पन्तजी मुख्य मन्त्री थे तो वह चूक शेड्यूल कास्ट की प्राबलम्स को जानते थे, इसलिए उन्होंने 18 प्रतिशत रिजर्वेशन उनके लिए किया था उन दिनों में जबकि दूसरी स्टेट्स में कहीं दस और कहीं बारह प्रतिशत था। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से भी करीब 15 प्रतिशत रिजर्वेशन कर दिया गया है। कुछ इस बात का है जितना हमको कोटा मिला है 25 वर्षों में उसको पूरा करने की दिशा में, सरकार या सरकार के जितने कारकुन हैं वह किस ईमानदारी से, किस भावना से कोशिश कर रहे हैं, सबाल तो इस बात का है। जस्टिस होगी,

ऐसी बात है, लेकिन एस जस्टिस को दिलाने के लिए ईमानदारी से, सही भावना लेकर के कोशिश में हैं या नहीं सबाल इस बात का है। अगर आप विवेचना करें तो आपको मालूम होगा कि 25 वर्षों में इस आर्टिकल के नाम पर शेड्यूल कास्ट के साथ बराबर मिस्वीफ किया जा रहा है। बास अनएम्प्लायमेंट हारी ज्यादा है रही है, पर खुले ग्राम अधिकारियों को यह कहते हुए शर्म नहीं लग रही है कि शेड्यूल कास्ट के लोग बराबर इसी तरह से हल्ला गुल्ला किया करते हैं। जी० ओ० पर जी० ओ० सरकार की तरफ से जाते हैं। मैं मन्त्र निवेदन करूंगा कि 25 वर्ष से बराबर आप एग्जीक्यूटिव आर्डर्स पा कर रहे जा रहे हैं। होम मिनिस्ट्री या दूसरी मिनिस्ट्री से एग्जीक्यूटिव आर्डर बराबर सकुलेट होते चले जा रहे हैं। जब कभी भी मौका आता है शेड्यूल कास्ट की रिपोर्ट पर पदस करने का या सवानो के जरिए अथवा किसी मोशन के जरिए जब कभी भी हाउस में बहस आती है तो इस बात पर तबज्जह दिलाई जाती है कि यह कांटा क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? सरकार की तरफ से हमेशा जवाब यह आता है कि होम मिनिस्ट्री ने एग्जीक्यूटिव आर्डर्स चले गए हैं और एग्जीक्यूटिव आर्डर का यह आलम है कि आपकी नाक के नीचे दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां उनको पता नहीं कि कोई आर्डर आया है या नहीं आया है। या तो वह जानबझ कर ऐसा करते हैं या फिर वाकई में उनके पास नहीं गया है यह वह जाने। इसी तरह से स्टेट्स में, कारपोरेशन्स में कहीं भी चले जायें सभी जगह यही हाल है। मेरा यह कहना है कि अगर इन हरिजनों को और शेड्यूल कास्ट के लोगों को न्याय मिलना है और आज यह सरकार समझती है कि शेड्यूल कास्ट के लोग इतने शिक्षित हो गए हैं कि अब उनके सामने क्वालीफिकेशन या एफिश्येंसी की कोई बास ऐसी बात नहीं रह गई है तो, हम मन्त्री महोदय से यह प्रार्थना करेंगे कि उनको जस्टिस दिलाने के लिए एक लेजिस्लेशन की आवश्यकता है। लेजिस्लेशन

[श्री शम्भू नाथ]

की आवश्यकता इसलिए है कि एक तो क्लायर एनैक्टमेंट हो जायगा। जो यह हाथ पाच चलता है कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव आर्डर नहीं आया है, यह खत्म हो जायगा। साथ साथ लेजिस्लेशन के जरिए कहीं न्याय भी होगा तो आज शेड्यूल्ड कास्ट के लोग जो समर्थ हैं, न्याय लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। इस पार्लियामेंट में आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, उनका न्याय मिल सकता है। ऐसी हालत में मैं यह समझता हूँ कि यह एग्जीक्यूटिव आर्डर जो 25 वर्ष पहले निकाला गया था, उसका न तोजा अच्छा नहीं रहा है। अब उनके साथ न्याय करने के लिये, उनके सेफगार्ड्स के लिये, उनके राइट्स को दिलाने के लिये इस पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन पास होना चाहिये

आर मन्त्री महोदय को इस सम्बन्ध में शोध कार्यवाही करनी चाहिये।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से उम्मीद करता हूँ कि किन कारणों से— इसका पता उनको है, यदि नहीं है तो पता लगावें और अच्छी तरह से जाच करे— शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को इन-एक्स्पेन्सी के नाम पर घोखा दिया जा रहा है, न्याय नहीं दिया जा रहा है।

MR. CHAIRMAN. Shri Dinesh Joarder. You are on your legs and you will continue on the next day.

18.00 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 9, 1973/Chaitra 19, 1895 (Saka).*